न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 87 / 2022(2022 / 312)

1. सुखदेव पुत्र भैरू जाति माली निवासी गुलगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर

———प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. ओमप्रकाश पुत्र आनन्दीलाल जैन जाति जैन निवासी गुलगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. छीतर पुत्र सुगना जाति कहार निवासी गुलगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. भूरा पुत्र सुगना जाति कहार निवासी गुलगावं तहसील केकड़ी जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

——अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः—
प्रार्थी वकील :— श्री गजराज सिंह कानावत, श्री भूपेन्द्र सिंह राठौड
पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 15/2/23

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात वाके **ग्राम गुलगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित आराजी** का विवरण निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड हैः—

खाता संख्या (नया—पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
754—657	2379	0.53	चाही 1 / जाव 1
	2381	0.08	व्यवसायिक
	2382	0.08	चाही 1 / जाव 1
	2384	0.33	चाही 1 / जाव 1
	थ्कता 4	कुल रकबा 1.05 है	बारानी उत्तम

उक्त वादवर्णित आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार के दर्ज है तथा प्रार्थी के ही कब्जे काश्त स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात के पडौसी है तथा मौके पर पडौसियों में सीमा विवाद के कारण आपस में झगडा होने का सदैव अंदेशा बना रहता है। उपरोक्त आराजीयात के स्थाई सीमा चिन्ह व पत्थरगढी नही होने से आये दिन अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की उपरोक्त आराजीयात में घुसकर हाक चौक देते है, मेड को तोड देते है तथा फसल को नुकसान कर देते है। श्रीमान तहसीलदार केकड़ी द्वारा उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान करवाया गया लेकिन अप्रार्थीगण सीमाज्ञान से संतुष्ट नही है तथा अप्रार्थीगण ने सीमाचिन्हो को नष्ट कर दिया है। दिनांक 12.05.2022 को प्रार्थी उपरोक्त आराजीयात को हाकने गये तो अप्रार्थीगण लडाई झगडा

Scanned with OKEN Scanner

करने लग गये एवं प्रार्थी को हाकने चौकने नही दिया तथा झगडा करने लग गये इसलिए यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः वादग्रस्त आराजीयात की मौके पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में स्थाई पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा द्वारा अण्डरटेकिंग ली गई। पावर व जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद पावर व जावब प्रस्तुत नही किये जाने एवं अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से जवाब अप्रार्थीगण बंद किया। पैरोकर सरकार जरिये तहसीलदार द्वारा पत्रावली में जवाब सरकार की टिप्पणी अंकित की गई जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है एवं राजहित प्रभावित नही होता है। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की आराजीयात पर पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी वाके ग्राम गुलगांव तहसील केकड़ी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया पुराना 754–657 के खसरा नम्बर 2379, रकबा 0.53 हैक्ट, खसरा नम्बर 2381, रकबा 0.08 हैक्ट खसरा नम्बर 2382, रकबा 0.08 हैक्ट, खसरा नम्बर 2384 रकबा 0.33 हैक्ट, कुल किता 4 कुल रकबा 1.05 हैक्ट की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Scanned with OKEN Scanner